भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3166

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विशेष आवश्यकता वाले और नि:शक्त बच्चों हेतु योजनाएं

3166. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सम्पूर्ण देश में विशेष आवश्यकता वाले और नि:शक्त बच्चों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की गई योजनाओं और
कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत तेलंगाना के संबंध में विशिष्ट आंकड़ों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(ग) लाभार्थियों की संख्या और अवसंरचना की उपलब्धता संबंधी आंकड़े क्या हैं और इन बच्चों तक पहुंच और समावेशन में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i. सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)।

(क) एडीआईपी-एसएसए (समग्र शिक्षा अभियान) के प्रावधान के तहत स्कूल जाने वाले विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण

(ख) श्रवण बाधिता वाले बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट और शल्यक्रिया पश्चात चिकित्सा और पुनर्वास।

ii. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधाओं वाले विशेष विद्यालयों संबंधी मॉडल परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

iii. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं।

iv. राष्ट्रीय दिव्यांगजन कौशल विकास कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)।

v. 0-6 वर्ष की आयु के विकलांगता के जोखिम वाले या विकलांगता से ग्रस्त शिशुओं और छोटे बच्चों की सहायता के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोलना ताकि उनकी शारीरिक, संवेदात्मक और संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार लाया जा सके।

vi. दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र जारी करने के लिए विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) सृजन परियोजना।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में एक या एक से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समर्पित समावेशी शिक्षा घटक है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने 32 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों - 4 डी यानी जन्म के समय दोष, विकासात्मक विकास में देरी, रोगों और कमियों को शीघ्र चिहिन्त करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 0-18 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) लागू किया गया है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का तेलंगाना राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक – I, II और III** में दिया गया है ।

(ग): शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के तहत इन बच्चों के हर स्थान पर आवागमन और समावेशन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

i.विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ब्रेल किताबें, ब्रेल किट, लो विज़न के लिए उपचार, हीयरिंग एड, ब्रेसिज़, क्रचिस, व्हील चेयर, ट्रॉय-साइकिल और कैलिपर्स जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

ii. सभी नामांकित सीडब्ल्यूएसएन और गृह आधारित शिक्षा सेवाएं प्राप्त करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii. शौचालय में रैंप, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवेश/निकास बिंदुओं पर और एलिवेटर्स/ लिफ्ट में श्रवण संकेत और पहुंच बढ़ाने के लिए अन्य प्रावधान करने जैसी सुविधाएं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षो के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक I और II** में दी गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आरबीएसके कार्यक्रम के तहत, जिला प्रारंभिक उपचार केंद्रों में 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच और प्रबंधन किया जाता है।

अनुलग्नक - I

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा प्रश्न संख्या 3166 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार - समग्र शिक्षा अभियान योजना - सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या और उपयोग की गई निधियों का राज्य -वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई धनराशि (लाख रूपए में)	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई धनराशि (लाख रूपए में)	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई धनराशि (लाख रूपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	145	8.06				
2	आंध्र प्रदेश	269	4.07	3927	253.59	1029	70.54
3	असम	2714	171.61	4051	337.62	4740	349.23
4	बिहार	0	0	4615	340.11		
5	चंडीगढ़	128	9.75	106	8.68	72	5.68
6	दिल्ली	2012	150.00			1695	124.07
7	गोवा	0	0				
8	गुजरात	7670	477.39	1791	118.11	10401	631.89
9	हरियाणा	2163	157.13	3120	260.66	2249	211.74
10	हिमाचल प्रदेश	901	63.05	1338	112.28	1291	100.45
11	जम्मू और कश्मीर	6	0.14	54	1.53	4857	402.99
12	झारखंड	2977	202.00	8061	587.03	6349	479.37
13	कर्नाटक	0				11481	843.94
14	लद्दाख	0				0	
15	मध्य प्रदेश	11450	932.54	11630	842.11	6457	485.54
16	महाराष्ट्र	13101	985.11	10	1.2	2421	155.91
17	मेघालय	0		1343	111.46	38	3.56
18	ओडिशा	3826	287.24	4532	351.2	3721	289.27
19	पुडुचेरी	0					
20	पंजाब	6013	470.31	4700	343.91	5713	438.85
21	राजस्थान	128	11.71	4924	315	5619	451.67
22	तमिलनाडु	15999	964.12	3619	268.67	3680	278.75
23	तेलंगाना	465	32.80	0	0	7110	518.82
24	दादरा और नागर हवेली	22	2.24	91	6.37	49	4.78
25	त्रिपुरा	0		1308	76.1		
26	उत्तर प्रदेश	20791	1569.04	19455	1418.82	17453	1405.49
27	उत्तराखंड	538	39.18	1062	84.49	656	47.64
28	पश्चिम बंगाल	1141	80.6	13313	914.29	1913	149.37
	कुल:	**92459**	**6618.09**	**93050**	**6753.23**	**98994**	**7449.55**

अनुलग्नक- II

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा प्रश्न संख्या 3166 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभार्थी	कुल धनराशि	लाभार्थी	कुल धनराशि	लाभार्थी	कुल धनराशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1343	4.75	3070	6.26	625	3.45
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	असम	783	2.02	71	0.67	322	1.07
5	बिहार	2278	9.05	1257	5.43	1441	11.94
6	चंडीगढ़	34	0.03	90	0.19	343	0.75
7	छत्तीसगढ़	1125	1.53	612	3.01	456	0.76
8	दादरा और नागर हवेली	15	0.01	28	0.03	5	0.01
9	दमन और दीव	0	0.00	1	0.00	2	0.00
10	दिल्ली	313	1.03	502	1.66	149	1.29
11	गोवा	26	0.06	25	0.04	26	0.03
12	गुजरात	1577	2.76	1240	2.56	1034	2.63
13	हरियाणा	275	1.07	285	1.29	136	0.95
14	हिमाचल प्रदेश	186	0.58	179	1.31	204	1.09
15	जम्मू और कश्मीर	594	1.77	547	1.88	291	2.18
16	झारखंड	145	0.99	762	8.32	331	3.43
17	कर्नाटक	3331	16.93	3026	16.29	3428	23.20
18	केरल	5095	7.22	4932	7.62	3992	6.29
19	लद्दाख	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	मध्य प्रदेश	5661	9.73	8765	18.03	1293	3.93
22	महाराष्ट्र	1490	5.83	691	5.99	1757	6.73
23	मणिपुर	0	0.00	32	0.11	27	0.16
24	मेघालय	6	0.06	5	0.01	22	0.05
25	मिजोरम	11	0.02	12	0.14	2	0.07
26	नागालैंड	6	0.01	2	0.00	7	0.01
27	ओडिशा	2699	5.40	3168	6.11	1467	4.36
28	पुडुचेरी	95	0.29	46	0.30	7	0.39
29	पंजाब	1393	2.12	1094	1.74	608	2.35
30	राजस्थान	1856	4.08	1084	3.54	110वी	3.51
31	सिक्किम	3	0.00	1	0.00	1	0.00
32	तमिलनाडु	4384	9.15	6448	13.46	4046	10.69
33	तेलंगाना	1340	6.40	2936	8.86	879	6.76
34	त्रिपुरा	186	1.19	245	0.48	329	1.86
35	उत्तराखंड	259	0.96	229	1.05	64	0.45
36	उत्तर प्रदेश	5115	32.90	2318	24.33	4477	24.86
37	पश्चिम बंगाल	512	3.49	459	4.49	596	5.22
कुल		**42136**	**131.43**	**44162**	**145.2**	**29374**	**130.47**

अनुलग्नक - III

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा प्रश्न संख्या 3166 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा गत तीन वर्ष के दौरान क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	एनआई/सीआरसी का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना	14.17	25.98	44.69
2	राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई, तमिल नाडु	20.64	63.76	28.86
3	राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	24.00	20.33	24.23
4	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा	9.01	35.89	23.42
5	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता	27.20	50.98	13.32
6	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	3.10	26.87	21.80
7	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज (एवॉयजएनआईएसएचडी), मुंबई	-	24.87	9.48
8	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, लखनऊ	2.91	26.59	17.22
9	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, कोझीकोड	-	52.93	6.58
10	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, पटना	12.60	22.38	0.00
11	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, नेल्लोर	-	14.55	17.98
12	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, राजनंदगांव	-	15.70	17.84
13	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, भोपाल	-	4.61	0.00
14	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, सुंदरनगर	1.48	25.28	14.00
15	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, दावनेगेरे	-	14.54	5.28
16	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, श्रीनगर	-	9.00	0.00
17	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, रांची	-	8.99	8.90
18	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, बलांगीर	-	8.82	10.65
19	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, गुवाहाटी	-	9.00	7.90
20	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, अहमदाबाद	-	6.00	4.13
21	कम्पोजि◌्ट रिजनल सेंटर, गोरखपुर	-	-	4.40
22	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश	-	-	6.75
	कुल	**115.11**	**467.07**	**287.43**

*****